"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290] रायपुर, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2017 — आषाढ़ 21, शक 1939

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा कोरबा जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्रीमती मीणा शर्मा
   (ii) श्री भोजराम रजवाड़े

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Korba district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Smt Meena Sharma
   (ii) Shri Bhojram Rajwade

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा बेमेतरा जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री प्रफुल्ल कुमार शर्मा
   (ii) श्रीमती निवेदिता शरद जोशी

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Bemetara district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri Prafull Kumar Sharma
   (ii) Smt Nivedita Sharad Joshi

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा कांकेर जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री इन्द्रदेव खापर्डे

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for

Kanker district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri Indra Dev Khaparde

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा नारायणपुर जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री जयप्रकाश शर्मा
   (ii) श्रीमती शच्ची देवांगन

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Narayanpur district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri Jayprakash Sharma
   (ii) Smt Shachchi Dewangan

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

राज्य सरकार द्वारा महासमुंद जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :-

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री गणेश नायक
   (ii) श्रीमती अर्चना चंद्राकर

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Mahasamund district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri Ganesh Nayak
   (ii) Smt Archana Chandrakar

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/खाद्य/2004/29-1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा कोण्डागांव जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :-

2. अशासकीय सदस्य
   (i) कु. ईना श्रीवास्तव
   (ii) श्री ओमप्रकाश टावरी

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Kondagaon district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council

following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Ku. Ina Shrivastava
   (ii) Shri Om Parkash Tawri

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा बालोद जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री देवेन्द्र जायसवाल
   (ii) श्रीमती मनोरमा देशमुख

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Balod district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows:-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted:-

2. Non official members :-
   (i) Shri Devendra Jaiswal
   (ii) Smt Manorama Deshmukh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1 : इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा मुंगेली जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की

कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है:—

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री लोकनाथ सिंह

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Mungali district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri Loknath Singh

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5—9/खाद्य/2004/29—1. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा सुरजपुर जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :—

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :—

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री जितेन्द्र एक्का
   (ii) श्रीमती जानकी राजवाड़े

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Surjpur district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council

following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri Jitendra Ekka
   (ii) Smt Jankee Rajwade

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा दुर्ग जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री राजेश अग्रवाल
   (ii) श्रीमती प्रीती सोनी

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Durg district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri Rajesh Agrawal
   (ii) Smt Priti Soni

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा बिलासपुर जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की

कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   - (i) श्रीमती संगीता तिवारी
   - (ii) श्री राजेश कुमार गुप्ता

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Bilaspur district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   - (i) Smt Sangita Tiwari
   - (ii) Shri Rajesh Kumar Gupta

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अतंर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा राजनांदगांव जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   - (i) श्रीमती रेवती चौधरी
   - (ii) श्री विष्णु प्रसाद साव

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Rajnadgaon district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council

following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Smt Revati Choudhari
   (ii) Shri Vishnu Prasad Sao

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–9/खाद्य/2004/29–1. – इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27, दिसम्बर 2005 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के खण्ड 8(क) के उपखण्ड (1) अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा धमतरी जिले हेतु जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना की कंडिका 2 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :–

संशोधन

उक्त जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद हेतु पूर्व में नामांकित अशासकीय सदस्यों को विलोपित करते हुए निम्नलिखित अशासकीय सदस्यों को स्थापित किया जाता है :–

2. अशासकीय सदस्य
   (i) श्री एल.पी. गोस्वामी
   (ii) श्री प्रकाशचंद्र गोलछा

No. F 5-9/food/2004/29-1. – In exercise of powers conferred by sub clause (1) of clause 8 of the consumer protection Act (1986), state Government had constituted the District consumer protection council for Dhamtari district vide notification of even number dated 27 December 2005. Para 2 of the said notification is amended as follows :-

AMENDMENT

In place of the non-official members nominated for the said district consumer protection council following shall be substituted :-

2. Non official members :-
   (i) Shri L.P. Goswami
   (ii) Shri Prakash Chandra Golchha

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.